

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 182/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/298

प्रार्थी:-

विकास अधिकारी पंचायत समिति,
रानी स्टेशन।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. अशोक पुत्र बाबुलाल जाति हिरागर
निवासी रायपुरिया
2. सरपंच, ग्राम पंचायत वणदार।

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक : 30.12.2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 46/2024-25, संकल्प संख्या 02 दिनांक 09.12.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 07 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत वणदार ने राजस्व ग्राम वणदार में खसरा संख्या 424/934 रकबा 0.8000 हैक्टेयर भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित हुई थी। उक्त भूमि पर पट्टे जारी करने से पूर्व नगर नियोजक के द्वारा पंचायत नियम 148 के तहत प्लॉन अनुमोदित करवाना आवश्यक था जो कि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को जैर निगरानी पट्टा आवंटित किया परन्तु पट्टाधारक नियम 158 के लिये पात्र भी नहीं है क्योंकि उसका पहले से ग्राम में आबादी में मकान स्थित है। ग्राम पंचायत वणदार के सरपंच एवं विकास अधिकारी सर्वेशसिंह ने मिलिभगत कर पंचायती राज नियमों में अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। प्रश्नगत पट्टे की न तो मिसल तैयार की गई न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर तैयार किया गया, ग्राम विकास अधिकारी ने बिना कोरम की स्वीकृति के जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व हानि हुई तथा ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये नियम 140 से 158 में विहित प्रक्रिया की पालना किये बगैर नियमों के विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो कि विधिविरुद्ध है। इसलिये विधिविरुद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।



[Handwritten signature]

अति. जिला कलक्टर, पाली

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 46/2024-25, संकल्प संख्या 02 दिनांक 09.12.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 07 के विरुद्ध पेश की है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक 1905 दिनांक 18.04.2013 के द्वारा ग्राम वणदार ग्राम पंचायत वणदार तहसील रानी जिला पाली के खसरा संख्या 424 रकबा 4.95 हैक्टेयर में से 0.80 हैक्टेयर भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति, बी.पी.एल. परिवारों हेतु आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन की गई तथा ग्राम वणदार की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार खसरा संख्या 424/934 रकबा 0.8000 हैक्टेयर गै.मु.आबादी के रूप में दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी का प्रथम मुख्य उज्र यह था कि ग्राम वणदार को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित हुई जिसका नियम 142 के तहत नगर नियोजक से प्लान अनुमोदित करवाये बिना ही ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसी प्रकृति से सम्बन्धित अन्य प्रकरणों में अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने नगर नियोजन प्लॉन की फोटोप्रति पेश की थी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पत्र दिनांक 19.09.2025 के अनुसार ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल, आवेदन फाईल, अन्य कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 142 के अनुसार जब कभी आबादी के विकास के लिए भूमि किसी पंचायत को अन्तरित की जाये, तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का भावी विकास अनुमोदित विकास योजना के अनुसार किया जायेगा। प्रकरण में ग्राम पंचायत के पास ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि का प्लॉन अनुमोदित करवाया हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार किसी भी दस्तावेज की विषय-वस्तु सिद्ध करने का प्राथमिक साधन मूल दस्तावेज होता है। फोटो-कॉपी केवल द्वितीयक साक्ष्य माना गया है और द्वितीय साक्ष्य तभी स्वीकार्य होता है जब मूल दस्तावेज के अस्तित्व का विधिवत प्रमाण हो, अथवा मूल दस्तावेज के नष्ट होने या अनुपलब्ध होने का संतोषजनक कारण हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमति दी गई हो। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों में न तो मूल आबादी विकास योजना का प्लॉन उपलब्ध है और न ही ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश अथवा अनुमति उपलब्ध है जो प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की अनुमति देती हो। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दृष्ट से यह प्रतिलिपि स्वतः ही अविश्वसनीय हो जाती है तथा इसे विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 5 SCC 730 J. Yashoda v. K. Shobha Rani के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार किसी दस्तावेज की विषय-वस्तु सिद्ध करने का प्राथमिक माध्यम मूल दस्तावेज है। प्रतिलिपि मात्र द्वितीयक साक्ष्य है, जिसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज के अस्तित्व, उसके नष्ट/अनुपलब्ध होने अथवा विधिवत अनुमति का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त (2011) 4 SCC 240



H. Siddiqui (Dead) by LRs v. A. Ramalingam के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने से पूर्व यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि मूल दस्तावेज वास्तव में अस्तित्व में था और वह विधिसम्मत कारणों से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिलिपि स्वयं भी अस्पष्ट है जिसमें अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का नाम, अनुमोदन की तिथि, हस्ताक्षर, स्वीकृति क्रमांक, शर्तें एवं अनुमोदन की विधिक सीमा आदि स्पष्ट रूप से पढ़ी अथवा सत्यापित नहीं की जा सकती। प्रकरण में यह भी तथ्य है कि उक्त फोटो प्रति में वही खसरा संख्या अंकित है जिससे ग्राम पंचायत को आबादी भूमि आवंटित की गई थी, अपने आप में निर्णायक नहीं है क्योंकि केवल खसरा संख्या का मेल होना यह सिद्ध नहीं करता कि वही भूमि विधिवत रूप से पट्टा वितरण हेतु स्वीकृत की गई थी अथवा वह योजना विशेष रूप से एससी, एसटी, बी.पी.एल. परिवारों की आबादी योजना के लिए थी अथवा उस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की वैधानिक अनुमति प्राप्त थीं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त (2004) 8 SCC 733 Friends Colony Development Committee v. State of Orissa के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत ले-आउट/योजना के किया गया कोई भी आवंटन कानूनन शून्य है, ऐसी अनियमितताओं को बाद में नियमति करना जनहित के विपरीत है। इसी तरह (2013) 5 SCC 336 Dipak Kumar Mukherjee v. Kolkata Municipal Corporation के अनुसार विधि द्वारा निर्धारित पूर्व-अनुमोदन के बिना किया गया भूमि आवंटन अवैध है, प्रशासनिक शिथिलता से ऐसी अवैधता वैध नहीं बनती। ऐसे मामलों में नियम 142 अनिवार्य शर्त होती है न कि औपचारिक तथा बिना स्वीकृत ले-आउट प्लॉन के दिया गया पट्टा कानूनन अस्तित्वहीन माना जाएगा। जिससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 142 में वर्णित प्रावधानों की पालना किये बगैर जैर निगरानी पट्टा जारी किया।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया है। नियम 158 के अनुसार पंचायत, गांव की आबादी में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यथावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्त को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित करने का प्रावधान है। प्रश्नगत पट्टा नियम 158 की मूल मंशा के पूर्णतः विपरीत जारी किये गये हैं, नियम 158 का उद्देश्य केवल ऐसे आवासविहीन, भूमिहीन, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आबादी भूमि उपलब्ध कराना है जिनके पास स्वयं का कोई गृहस्थल अथवा आवास उपलब्ध न हो। राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्राप्त आबादी भूमि के नियम 158 के तहत पट्टे जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि वे पात्र लाभार्थियों की पात्रता सूची तैयार कर, प्रत्येक लाभार्थी की जांच कर यह सुनिश्चित करती कि लाभार्थी एससी, एसटी, बी.पी.एल. वर्ग से सम्बन्धित हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी हो और पूर्व में किसी सरकारी आबादी/आवास योजना का लाभ न लिया हो परन्तु वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई भी प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपनाई गई अर्थात् न तो कोई पात्रता सूची तैयार की गई, न पात्रता का परीक्षण किया गया और न ही आवासहीनता की पुष्टि की गई। यह



करते समय आवश्यक कोरम मौजूद नहीं है, तो उस Decision को वैध नहीं माना जा सकता और वह रद्द किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और संविधान के अनुच्छेद 243-ए के तहत एससी, एसटी, बी.पी.एल. परिवारों के लिये आबादी योजनाओं में ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य है। प्रकरण में कोरम की अनुपस्थिति से यह साबित है कि बिना स्वीकृति के पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी दृष्टि से शून्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के समेकित मूल्यांकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा केवल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बिना किसी कोरम, बिना पंचायत प्रस्ताव के जारी किए गए है, जो कि कानूनन शून्य, अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा गम्भीर अनियमितता एवं सम्भावित भ्रष्टाचार से ग्रस्त होना प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकॉर्ड यथा मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। पुरे रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना मिसल के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है, यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है।



[Handwritten signature]

ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख, प्रस्तुत तर्कों एवं जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किए जाने की प्रक्रिया पूर्णतः त्रुटिपूर्ण, नियमविरुद्ध एवं विधि की मूल भावना के प्रतिकूल रही है। यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों में न तो प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल उपलब्ध है और न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर। साथ ही पट्टे पर भी केवल ग्राम विकास अधिकारी के ही हस्ताक्षर हैं जो कोरम के अभाव को प्रदर्शित करता है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 158 तक जिन प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य था, उनका पूर्णतः अभाव रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment made by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this matter which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के सम्यक् मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में कृत्रिम परिवर्तन एवं अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई दर्शाई गई है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रक्रिया न तो पारदर्शी है और न ही विधिसम्मत है अपितु यह प्राकृतिक न्याय तथा राजस्थान पंचायती राज नियमों में निहित अनिवार्य प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय सामान्य एवं अनिवार्य नियमों की अनदेखी की गई, तथ्यों का सही परीक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत वणदार द्वारा मिसल संख्या 46/2024-25, संकल्प संख्या 02 दिनांक 09.12.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 07 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली

